दिनांक 28.05.2014 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि कुछ अन्तराल के बाद विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की शुरूआत हो रही है जिसके कारण बिजली संबंधी मामलों की गहन समीक्षा नहीं हो पायी थी। मुझे विश्वास है कि इस बीच जिला पदाधिकारियों द्वारा बिजली की स्थिति पर जरूर समीक्षा की गयी होगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि बिजली कम्पनी द्वारा लगातार विद्युत खरीद कर बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है और यह तभी Sustain कर पायेगा जब बिजली खरीद के अनुपात में राजस्व वसूली होगी। जिलाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे और कम्पनी के सभी अभियंता/पदाधिकारी राजस्व वसूली पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करेंगे।

पिछले विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में शहरी क्षेत्र में राजस्व वसूली पर फोकस करने का लक्ष्य दिया गया था। राजस्व में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु मीटर रीडिंग, विद्युत विपत्र वितरण एवं राजस्व वसूली है। सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता को निदेशित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत की चोरी पर विशेष निगरानी रखते हुए सघन छापामारी की जाय। विद्युत् विपत्र भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ायी जाय। बिजली आपूर्त्ति एवं राजस्व संग्रहण में अपेक्षित तेजी लाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता है :–

(1) जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जितनी राशि की बिजली जिला मुख्यालय में दी जाती है उतनी राशि की वसूली की जाय।

(2) राजस्व में वृद्धि के लिए जिला मुख्यालय में LTIS/NDS/DS-2 के High Value उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं विपत्र वितरण तथा राजस्व वसूली निश्चित रूप से करायी जाय।

(3) शहरी क्षेत्र के बड़े बकायेदारों जिनके द्वारा विद्युत् विपत्र की राशि जमा नहीं की जा रही है, उनका लाईन काटा जाय। विद्युत संबंध विच्छेदन सिर्फ कागज पर नहीं कर वास्तविक विच्छेदन किया जाय।

(4) शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किये जायें।

(5) ट्रान्सफार्मर का समुचित मेंटेनेन्स किया जाय ताकि ट्रान्सफॉरमर नहीं जले।

(6) सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल मे लाना सुनिश्चित किये जायें।

(7) जिलाधिकारी प्राथमिकता तय करते हुए रिकंडक्टरिंग कार्यों में तेजी लायेंगे।

(8) बिजली कम्पनी के जिस अभियंता का परफॉरमेंस लगातार खराब पाया जायेगा, उनके विरूद्ध कड़ी प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(9) चूँकि शहरी क्षेत्रों में एम०एम०सी० पर बिलिंग पूर्णतः बंद हो चुकी है, अतः मीटर रीडिंग पर बिलिंग कराना सुनिश्चित करें।

(10) शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली पर ध्यान केन्द्रित किये जायें।

(11) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनायें स्वीकृत है, इसके लिए काफी राशि स्वीकृत की गई है। सभी जिला पदाधिकारी अपने–अपने जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अन्य योजनाओं के तहत ग्रिड सब–स्टेशन के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन की व्यवस्था करेंगे।

(12) जेनरेटर ऑपरेटर कम्पनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बिजली बेचते हैं, जिससे पूर्णतः समाप्त करना है एवं ऐसे संचालकों की जाँच कर उनके विरुद्ध विद्युत् चोरी के आरोप के तहत कार्रवाईकी जाय एवं वैसे लोगों को विद्युत् कम्पनी का उपभोक्ता बनाया जाय।

(13) रि–कन्डक्टरिंग का काम ए टू जेड कम्पनी द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। अतः ए टू जेड कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों को अलग कर बाकी बचे हुए रि–कंडक्टरिंग के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्टेट प्लान के तहत कराया जाय।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, रूरल फ्रेंचाईजी पर मुख्य रूप से फोकस करने के साथ–साथ पावर की उपलब्धता के बावजूद फीडर ट्रीप, हल्की हवा या बारिश के कारण फीडर को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण पावर उपलब्धता के बावजूद जिलों में बिजली का ड्रॉवल नहीं हो पाता हैं। अतः सभी जिला पदाधिकारियों से फीडर की मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया गया।

प्रबंध निदेशक द्वारा विशेष रुप से सभी उपभोक्ताओं का DT से Tagging कराने हेतु जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

2. **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारियों को ऊर्जा सचिव एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :**

(A) विद्युत् system के रख–रखाव के लिएं तकनीकी निर्देश :

1. जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को मेंटेन रखा जाय।
2. ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को शहरी क्षेत्र के फीडर से अलग किया जाय।
3. सभी ट्रान्सफॉरमर को कोडिंग कराते हुए सभी उपभोक्ताओं को संबंधित ट्रान्सफॉरमर से टैगिंग कराया जाय।
4. क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ट्रान्सफॉरमर उपलब्ध कराकर इसकी कमी को दूर किये जायें।
5. सभी उपभोक्ताओं का D.T. coding June2014 तक निश्चित रूप से कर ली जाय।
6. D.T. Coding प्रक्रिया में उपभोक्ताओं का पूरा पता निश्चित रूप से लिये जायें।
7. सभी ट्रान्सफॉरमर में Lightening Arrester लगाने हेतु सामग्रियाँ जून, 2014 में क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हल्की सी हवा चलने पर भी फीडर को बंद कर दिया जाता है। सभी स्थलों पर Maintenance कार्य कर लाईन को सुदृढ़ किया जाय, जिससे कि तेज हवा चलने पर लाईन बन्द नहीं करना पड़े। फीडर में खराबी आने पर प्राथमिकता के आधार पर उसे ठीक किया जाय ताकि Power Drawal कम न हो पाये।
9. आर० ए० पी० डी० आर० पी० पार्ट–ए० के तहत मई, 2014 तक 13 टाउन में नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। 4–5 महीने में पूरे बिहार में नया सॉफ्टवेयर लगा दिये जायें।

(357)

3. मीटर अधिष्ठापन :

(3.1) जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर सभी उपभोक्ताओं के परिसर में Electronic मीटर अधिष्ठापन पूर्ण रुप से करायें।

(3.2) सभी अधिष्ठापित मीटर को billing cycle में लाया जाय।

4. मीटर रीडिंग :

(4.1) जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि मीटर रीडिंग एजेंसियों के साथ साप्ताहिक/मासिक समीक्षा की जाय।

(4.2) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर भी मीटर रीडिंग व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की जाय।

(4.3) मीटर रीडिंग का मुख्य फोकस LTIS/NDS/DS-2 पर करना है। प्राथमिकता के आधार पर LTIS/NDS/DS–2 उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग तथा स्थल सत्यापन कराये जायें।

(4.4) शहरी क्षेत्रो में मीटर रीडिंग आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जायेंगे, किन्तु वे कम्पनी के नियंत्रण में रहेंगे।

5. राजस्व संग्रहण :

(5.1) Monthly Billingहेतु जिला पदाधिकारी को अनुमति दी गयी। इस संबंध में पत्र निर्गत किये जायें।

(5.2) बिलिंग एजेंसी जिला पदाधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे और उनके निदेश पर भी काम करेंगे।

(5.3) प्रत्येक जिले में विद्युत् विपत्र भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। इसके लिए मोहल्लावार अभियान चला कर संख्या बढ़ायी जाय ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता बिल का भुगतान करें।

(5.4) सरकारी बकाये की वसूली के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक कर सभी सरकारी बकायों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

(5.5) मीटर रीडिंग का आंकड़ा बढ़ा है; परन्तु राजस्व वसूली स्थिर है। मीटर रीडिंग सही है या नहीं, इसकी जाँच कराई जाय।

(5.6) LTIS तथा NDS उपभोक्ताओं की पूर्ण रूप से रीडिंग कराई जाय तथा जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करें।

(5.7) राजस्व वृद्धि के लिए तीन मुख्य बिन्दु यथा राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग और बिल वितरण तथा बड़े बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन और उसके भुगतान पर फोकस करें।

(5.8) शहरी क्षेत्र में AT & C loss ज्यादा है, उसे कम किया जाय।

(5.9) Ghost Consumer के बारे में DTwise/मोहल्लावार जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(5.10) मई, 2014 में सभी जिलों की राजस्व वसूली की स्थिति खराब है। अतः जून, 2014 तक 100 प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया।

6. नया कनेक्शन अभियान :

(6.1) 25–50 प्रतिशत उपभोक्ता अवैध रूप से लाईन जला रहे हैं, लेकिन वे कम्पनी के उपभोक्ता नहीं हैं। अत शहरी क्षेत्रों में मोहल्लावार अभियान चलाकर नये कनेक्शन अभियान चलाये जायें।

(350)

(6.2) नये कनेक्शन में उपभोक्ताओं का पूरा पता अभिलेख में लिखा जाय।

(B) विद्युत् चोरी के विरुद्ध अभियान :

1. शहरी क्षेत्रों में किसी तरह की बिजली चोरी न हो, इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी कराते हुए पूर्णरुपेण नियंत्रण किया जाय ।
2. शहरी क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों के मीटर एवं अवैध विद्युत् चोरी की जाँच अनिवार्य रुप से करायी जाय।
3. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक इस अभियान का संरक्षण प्रदान करेंगे।

(C) मानव संसाधन सम्बन्धी:

1. जिन अभियंताओं द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा, उनपर कड़ी अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
2. सभी विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल में 5–5 कम्प्यूटर की खरीद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जायेगी।जिला स्तर पर बने कार्यपालक सहायक के पैनल से इनकी नियुक्ति की जाय और बिलिंग के काम में तेजी लायें।
3. जिला पदाधिकारी द्वारा जिन अभियंताओं के सम्बन्ध में शिकायत की जा रही है, उनके संबंध में प्रतिवेदन कम्पनी के शीर्ष पदाधिकारी को भेजने का अनुरोध किया गया ताकि उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके।
4. जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा नये विद्युत लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में एक साल का अनुभव का शर्त रहने के कारण संवेदक नहीं मिल रहे हैं। इस पर शीर्ष कम्पनी द्वारा विचार किया जायेगा।
5. मसरख में गांव वाले फीडर से अन्य जगहों पर लाईन देने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे।

(D) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. ADB सम्पोषित योजना, 12वीं योजना के तहत RGGVY, RAPDRP, Special Plan (BRGF)एवं राज्य योजना अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा जिला पदाधिकारी स्तर पर की जाय।
2. जमीन अधिग्रहण से संबंधित लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।
3. मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) द्वारा सभी आवश्यक आठ–दस material की उपलब्धता क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी। इसकी मोनिटरिंग जिला पदाधिकारी करेंगे।
4. संवेदकों को एक जिला से निर्गत विद्युत लाईसेंस को दूसरे जिले में मान्यता नहीं दी जा रही है। इस संबंध में Clarification निर्गत किये जायें।
5. बरसात में पेड़ गिरने की सम्भावना रहती है, जिसके कारण तार टूट कर गिर जाते हैं तथा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः ऐसी जगहों पर पेड़ की कटाई/छंटाई करायी जाय।

(355)

निदेशक (मानव संसाधन/प्रशासन) द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कहा गया कि:–

1. केन्द्रीय संवर्ग के सभी पदाधिकारियों / कर्मियों द्वारा कम्पनी आवंटन के संबंध में दिनांक 31.05.2014 तक ऑप्शन मुख्यालय को भेज दिये जायें। 31.05.2014 के बाद प्राप्त ऑप्शन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रमोशन/ए0सी0पी0 Resolve करके एक सप्ताह के अन्दर प्रमाण–पत्र भेजा जाय।
3. कामगारों एवं पेन्शनरों का वेतन निर्धारण अविलम्ब किये जायें।
4. Basic entry details जैसे सामान्य भविष्य निधि आदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मचारी/पेन्शनरों का वेतन/पेन्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना है।
5. मीटर रीडर्स के संबंध में सर्विस इनफॉरमेशन कम्पनी को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अगले तीन दिनों के अन्दर जहाँ से उक्त सूचना प्राप्त नहीं होगी , वहाँ के पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।
6. चतुर्थवर्गीय कामगारों के मामले में ACRs Mandatoryनहीं है। वर्ग–3 के कर्मियों के बारे में एक सर्कुलर निर्गत किया जा चुका है।
7. पदाधिकारियों/कर्मियों के इनकम टैक्स की कटौती वेतन से at source कर लिये जायें।
8. आवास किराये की कटौती पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन से ही कर लिये जायें।

अन्त में धन्यवाद सहित सभी जिला पदाधिकारियों को बिजली के क्षेत्र में गहन समीक्षा कर सुधार लाने हेतु निदेश दिया गया।

23/6/14

(अशोक कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–प्र02/विविध–वि0को0–18/13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–प्र02/विविध–वि0को0–18/13 2045 पटना, दिनांक– 23/6/14

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/14

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।